रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शानुसार कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा सबसे निकटतम दूरी का रास्ता भी यही बताया गया है, साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते पर पक्का निमार्ण कार्य भी अंकन भी है। इसलिये अप्रार्थीगण की उजर आपतियों को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वकील अप्रार्थीगणों की ओर से जबाब को बहस मानने हेतु निवेदन किया तथा रास्ता अंगोर में से होना चाहिए का कथन किया गया। इस पर वकील प्रार्थी ने निवेदन किया किय प्रकरण में 2 बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार सबसे नजदीकी प्रस्तावित रास्ता घोषित कर तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका देखने एवं उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों के खेत खसरा नं. 141 के मौजा–ईग्यार तहसील–जायल में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है।

10. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भू.अभि. निरीक्षक से दिनांक 06.11.2024 की प्राप्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत दिनांक 04.12.2024 में वर्णनानुसार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 141 के लिए खसरा नं. 1133/142 में से माफिक नजरी नक्शा मार्क सी–डी एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 141 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–ईग्यार तहसील–जायल के खसरा नं. 1133/142 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार डोटेट मार्क सी–डी के अनुसार कुल 832 वर्गमीटर यानि 0.0832 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है , 15 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम ईग्यार के खेत खसरा नंबर 141 तहसील–जायल के खसरा नं. 1133/142 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी सीताराम से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक अप्रार्थीगण सहखातेदारान् (1133/142 नंबर खसरे से प्रभावित भूमि) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31/01/25 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner